न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 16/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

नटी बाई पुत्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी बमोरीकलां तह. मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थीया)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थीया)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

आदेश दिनांक– 20.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीया प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीया के खाते विवादित आराजी ख0नं0 1906 रकबा 0.64 है. किस्म नहरी I, 1731 रकबा 0.32 है. किस्म नहरी I कुल किता 2 रकबा 0.96 है. वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में साबिक खसरा नंबर 1178 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई थे। जिसे भू प्रबंध विभाग ने अवैधानिक रूप से मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी बिरधीलाल पुत्र भूरा जाति चमार निवासी बमोरीकलां के खाते दर्ज कर दिया तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी अप्रार्थिया के खाते दर्ज है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमियों की किस्म पूर्ववत दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज [illegible] कर, अप्रार्थीया को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीया जर्ये अ[illegible] की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि विवा[illegible] प्रार्थिया का अपने [illegible] के समय से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थिया के [illegible] बिरधीलाल का स्व[illegible] हो चुका है तथा उनके बाद प्रार्थिया विवादित आराजी पर बतौर खातेदारा काबिज चली आ रही है।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया का पूरा परिवार जीवनयापन हेतु इसी आराजीयात पर निर्भर है इसके अतिरिक्त प्रार्थिया एवं उसके परिवार की आय का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस खारिज फरमावें। अप्रार्थिया की ओर से उक्त आशय का जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

3— हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया की सुनी।

4— दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बमोरीकलां की सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014—23 में साबिक खसरा नंबर 1178 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई थे तथा वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038—2057 में हाल खसरा नंबर 1906 रकबा 0.64 है. किस्म नहरी I, 1731 रकबा 0.32 है. किस्म नहरी I कुल किता 2 रकबा 0.96 है. रहे हैं। उक्त आराजी मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत 2038—57 अप्रार्थिया के पिता बिरधीलाल पुत्र भूरा जाति चमार निवासी बमोरीकलां के खाते दर्ज की गयी है। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीया के पिता को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीया ने कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीया के पिता बिरधीलाल पुत्र भूरा जाति चमार निवासी बमोरीकलां को काबिल काश्त होने से आवंटन/नियमन की जाकर कब्जा दिया गया था जो अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा उनके बाद अप्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त का[illegible] प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थीया भूमिहीन [illegible] के अतिरिक्त अप्रार्थीया के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

6— हमने पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीया की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015—24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1178 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीया के पिता बिरधीलाल पुत्र भूरा को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.64 है. किस्म नहरी I, 1731 रकबा 0.32 है. किस्म नहरी I कुल किता 2 रकबा 0.96 है. बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीया के पिता को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीया के पिता को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

7— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीया के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.64 है. किस्म नहरी I, 1731 रकबा 0.32 है. किस्म नहरी I कुल किता 2 रकबा 0.96 है., जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1178 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बने हैं जिसका अप्रार्थीया के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो [illegible] अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स [illegible] राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 29.07.20.. को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)